सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक–717 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026, दिनांक– 10–08–2026

सेवा में,

1. **अधिष्ठाता, छात्र कल्याण**
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. **प्राचार्य / प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– 'हर घर तिरंगा अभियान–2026' के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या–डिग्री विकास / 1266–70 दिनांक 07 अगस्त, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (छाया प्रति संलग्न) जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या–789 / सत्तर–3–2025–1957545 दिनांक 07 अगस्त, 2026 के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु संलग्न पत्र के अनुसार निम्नलिखित कार्यक्रम तिरंगा रैली, तिरंगा कान्सर्ट, स्वतन्त्रता दिवस समारोह, तिरंगा प्रदर्शनी, राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा), तिरंगा थीम आधारित रंगोली, तिरंगा प्रेरित कलाकृतियॉ, हर घर तिरंगा अभियान 2026 का प्रचार–प्रसार, तिरंगा सैल्फी इत्यादि कराते हुए कार्यक्रमों के की प्रतिवेदन, विडियोंग्राफी व जियोटैगिंग फोटोग्राफी सुरक्षित रखते हुए उपरोक्त के संदर्भ में शासन के संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

10/08/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– / तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता, समस्त संकाय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
3. निजी सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

कार्यालय शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 1266-70 /2026 – 27 दिनांक – **07 अगस्त, 2026**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र दिनांक 798/सत्तर – 3 – 2025 – 1957545 दिनांक 07 अगस्त, 2026 के क्रम में हर घर तिरंगा अभियान – 2026 के सम्बन्ध में शासन के पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें –

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को **सूचनार्थ प्रेषित।**
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से निजी विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र निर्गत करें।
5. तकनीकि सहायक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

07/8/26

डॉ0 (ज्ञान प्रकाश वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या- 798 /सत्तर-3-2025-1957545

प्रेषक,

शकील अहमद सिददीकी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
3- समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०।
4- विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 07 अगस्त, 2026

विषयः- 'हर घर तिरंगा अभियान-2026'।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या- 183 /2026/2084/चार-2026-1955062, दिनांक 31जुलाई, 2026 की छायाप्रति संलग्नक सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव ,उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलगनक- यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by SHAKIL AHMAD SIDDIQUI
Date: 07-08-2026 19:06:18

(शकील अहमद सिददीकी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।

(2) निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।

(3) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र०।

(4) निजी सचिव, प्रमु ख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

(5) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

(6) निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

(7) समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिददीकी)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 183 /2026/2084/चार-2026-1955062

प्रेषक,

एस0पी0 गोयल
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 31 जुलाई, 2026

विषयः 'हर घर तिरंगा अभियान 2026'।

महोदया/ महोदय,

कृपया संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 42-22/119/2022-AKAM(PT II), दिनांक 14 जुलाई, 2026 (छायाप्रति संलग्न) तथा मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर दिनांक 24, 25 एवं 31 जुलाई, 2026 को सम्पन्न बैठकों में दिए गए निर्देशों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत वर्ष 2022 से 'हर घर तिरंगा अभियान' शुरू किया गया था; इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत एवं भावनात्मक सम्बन्ध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले कुछ वर्षों से यह अभियान राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति और गौरव के जनभागीदारी आन्दोलन के रूप में सफल बन चुका है।

'हर घर तिरंगा अभियान' का वर्ष 2022, 2023, 2024 एवं 2025 में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण देश के सभी घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर सफलापूर्वक आयोजन किया गया। यह अभियान कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा राष्ट्र सेवा एवं सम्मान में अपने प्राणों की आहूति देने वाले महापुरूषों के प्रति आदर का भाव प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।

इसी भावना को जारी रखते हुए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम' की 150वीं जयन्ती मनाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा वंदे मातरम के तृतीय चरण के साथ 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' को उत्सव के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 के बीच सम्पूर्ण देश में 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को भौतिक एवं डिजिटल दोनों रूप में आयोजित किया जाएगा; भौतिक रूप से तिरंगा फहराते हुए 'वंदे मातरम' का गायन किया जाएगा तथा डिजिटल सैलीब्रेशन के अन्तर्गत तिरंगा के साथ सैल्फी एवं वंदे मातरम के गायन को हर घर तिरंगा की वैबसाइट (www.harghartiranga.com) पर सैल्फी लेते हुए अपलोड किया जाएगा।

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग जैसे राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग आदि एवं उनकी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं तथा अन्य संस्थाएं इस अभियान में भाग लेते

हुए हर घर तिरंगा की गतिविधियों को जनभागीदारी के साथ संचालित करेंगी। 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' के अन्तर्गत निम्नवत् कार्यक्रम पूरे प्रदेश में प्रमुखता से आयोजित किए जाएं:-

- तिरंगा रैली:- प्रदेश में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए, जिसमें प्रतिभागी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) लेकर चलेंगे तथा रैली के आरम्भ में "वंदे मातरम्" का सामूहिक गायन किया जाएगा। इनमें विद्यार्थी, युवा, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, सशस्त्र बलों के सदस्य, महिला स्वयं सहायता समूह तथा सामाजिक संगठन शामिल होंगे। रैलियों के लिए उचित मार्ग योजना, प्रतिभागियों का पंजीकरण, स्वतन्त्र सत्यापन तथा सुरक्षा एवं अनुशासन समस्त जिलों में सुनिश्चित किया जाए।
- तिरंगा कॉन्सर्ट:- प्रदेश स्तर पर सभी जनपदों में तिरंगा कॉन्सर्ट के आयोजन सुनिश्चित किए जाएं, जिनमें युद्धों में शहीद हुए सेनानियों व स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों को परिजनों को आमन्त्रित कर सम्मानित किया जाए। कॉन्सर्ट में स्थानीय जन प्रतिनिधियों/ गणमान्य व्यक्तियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमन्त्रित करते हुए उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए। कॉन्सर्ट के अन्तर्गत तिरंगा गान, देशभक्ति के गीतों तथा "वंदे मातरम" का सामूहिक गायन एवं अन्य राष्ट्रभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ - साथ स्कूल बैण्ड/ पुलिस बैण्ड/ आर्मी बैण्ड आदि द्वारा राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों के वादन को सम्मिलित किया जाए।
- स्वतन्त्रता दिवस समारोह:- स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में जिला प्रशासन द्वारा स्वतन्त्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में "वंदे मातरम" का सामूहिक गायन तथा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) का ध्वजारोहण सुनिश्चित किया जाएगा।
- तिरंगा प्रदर्शनी:- प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जैसे शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस अड्डे, सार्वजनिक उद्यान आदि में तिरंगा प्रदर्शनियां आयोजित की जाएं तथा यथासम्भव प्रदर्शनियों का उद्घाटन गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कराया जाए। प्रदर्शनियों की रूपरेखा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है, जिसे हर घर तिरंगा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका यूआरएल (URL) https://harghartiranga.com/downloads है।
- राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा):- इस अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक घर, कार्यालय, सार्वजनिक उद्यम आदि पर तिरंगा फहराया जाना है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज की पर्याप्त उपलब्धता हो तथा राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) के वितरण के लिए योजना तैयार कर ली जाए।
- तिरंगा-थीम आधारित प्रकाश सज्जा एवं अलंकरण:- प्रदेश के समस्त सरकारी भवनों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों, विद्यालयों, बाजारों, प्रमुख चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा-थीम आधारित प्रकाश सज्जा एवं अलंकरण का कार्य कराया जाए।
- तिरंगा-थीम आधारित रंगोली:- प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा-थीम आधारित रंगोली बनवाई जाएं।

- **तिरंगा-प्रेरित कलाकृतियाँ:-** विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे परिसर की दीवारों पर तिरंगा-प्रेरित कलाकृतियाँ, स्वतन्त्रता सेनानियों के चित्र (Paintings) तथा "वंदे मातरम" के अंश अंकित करें।
- **हर घर तिरंगा अभियान 2026 का प्रचार-प्रसार:-** समस्त विभागों एवं जिला प्रशासन तथा अन्य संस्थाओं की आधिकारिक वैबसाइट एवं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा सरकारी कर्मचारियों एवं आम जनमानस को डिजिटल अभियान में भाग लेने हेतु "सैल्फी विद तिरंगा" को हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जाए।
- **तिरंगा सैल्फी:-** तिरंगे के साथ सैल्फी लेते हुए फोटो एवं वंदे मातरम गायन के वीडियो हर घर तिरंगा वैबसाइट पर (www.harghartiranga.com) पर अपलोड किए जाएं। इस कार्य हेतु शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान को निर्देश जारी किए जाएं कि विद्यालयों में सैल्फी प्वाइण्ट बनाते हुए विद्यार्थी तिरंगे के साथ सैल्फी लेकर एवं वंदे मातरम गाते हुए वीडियो एवं फोटो अपलोड करें।

हर घर तिरंगा कार्यक्रम में तिरंगा फहराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जारी झण्डा संहिता में वर्ष 2021 में संशोधन किया गया है, जिसकी छायाप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-1)

प्रत्येक जिला स्तर पर नामित नोडल का यह दायित्व होगा कि हर घर झण्डा फहराने हेतु नागरिकों को झण्डा फहराने की विधि, झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश तथा अन्य जानकारियों से स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए। झण्डा फहराने के नियम व झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश सुलभ सन्दर्भ हेतु शासनादेश के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे हैं। (संलग्नक-2 व 3)

इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान 2026 का आयोजन वंदे मातरम के 150वें वर्ष के स्मरणोत्सव को समर्पित होगा। भौतिक रूप से आयोजित कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन अवश्य किया जाए। वंदे मातरम के गायन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गाइड लाइन्स जारी की गई हैं, जिनको इस लिंक से प्राप्त किया जा सकता है:-https://orders_relatingto_singingplayingnationalsong_nationalanthemofindiaeng_09072026_0_0.pdf/। इस शासनादेश के साथ इसका पीडीएफ भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)

"हर घर तिरंगा अभियान 2026" के सफल आयोजन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दो करोड़ झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों एवं शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ झण्डों का उत्पादन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से क्रमशः पंचायतीराज विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा कराया जाएगा।

संस्कृति विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान 2026 के आयोजन हेतु बड़े जनपदों को रू0 10.00 लाख एवं छोटे जनपदों को रू0 5.00 लाख की धनराशि प्रति जनपद जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। इस धनराशि से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के क्रय का कार्य नहीं किया जाएगा; यह धनराशि जनपदों में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के अन्तर्गत होने वाले अन्य कार्यक्रमों जैसे तिरंगा रैली, तिरंगा कॉन्सर्ट की व्यवस्थाएं, तिरंगा प्रदर्शनियां, रंगोली, प्रतियोगिताएं आदि तथा विभाजन विभीषिका से सम्बन्धित कार्यक्रमों पर व्यय की जाएगी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा अभियान 2026' का सफल आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 गोयल)

मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2026 के क्रम में सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग/ नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त विभागध्यक्ष, उ0प्र0।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)

अपर मुख्य सचिव

संलग्नक—1

File No. 02/01/2020-Public (Part-III)
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Public Section)
******

North Block, New Delhi
Dated 30th December, 2021

ORDER

Subject: Amendment in the Flag Code of India, 2002- Reg.

The use/display/hoisting of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website www.mha.gov.in. With the approval of the Competent Authority, paragraph 1.2 of Part-I of the Flag Code of India, 2002 has been amended and it shall be read as under :-

"1.2 The National Flag of India shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting".

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

To

The Chief Secretaries/Administrators of
All State Governments/UT Administrations,
Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India.

Copy to:

1. President's Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. Vice – President's Secretariat, New Delhi.
3. Prime Minister's Office, South Block, New Delhi.
4. Cabinet Secretariat, New Delhi.
5. Office of all Governors.
6. Election Commission of India, New Delhi.
7. Lok Sabha Secretariat, New Delhi.
8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
9. Registrar, Supreme Court of India, New Delhi.
10. Registrar, all High Courts.
11. Office of Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
12. The Union Public Service Commission, New Delhi.
13. Central Vigilance Commission, New Delhi.
14. NITI Aayog, Yojana Bhawan, New Delhi.
15. All attached & Subordinate Offices of the Ministry of Home Affairs.
16. 5 Spare Copies.

(Vijay Kumar)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele No. 2309 3101

संलग्नक-2

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

1- झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।

2- इसकी लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चौड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।

3- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा/मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि हो सकती है।

4- झण्डे तीन रंगों में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद तथा नीचे हरे रंग का प्रयोग कर बनाये जायेंगे।

5- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

संलग्नक-3

झण्डा फहराने के नियम

1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/लगाना है।

2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए।

3- झण्डे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त्त के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए।

4- दिनांक 09 से 17 अगस्त, 2026 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उक्त समयावधि के उपरान्त आदर भाव के साथ उतार कर सुरक्षित रखा जायेगा।

5- झण्डा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जायेगा। उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।

6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।

7- हर घर पर झण्डा विधिवत् तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्।
वन्दे मातरम् ॥

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेइ प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे ।
वन्दे मातरम् ॥

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम् ।
वन्दे मातरम् ॥

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम् ।
वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम् ॥

National Song

VANDE MATARAM

Vandē Mātaraṃ, Vandē Mātaraṃ.
Sujalāṃ suphalāṃ malayaja-sheetalāṃ,
Shasya-Shyāmalāṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaram.

Shubhra-jyotsnā pulakita-yāmineeṃ,
Phulla-kusumita druma-dala-shobhineeṃ,
Suhāsineeṃ sumadhura-bhāshineeṃ,
Sukhadāṃ varadāṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ.

Koti-koti kantha kal-kal nināda karāle,
Koti-koti bhujairdhṛita kharkarvāle,
Ke bole Mā tumi abale,
Bahubaladhāriṇeeṃ namāmi tāriṇeeṃ,
Ripudala-vāriṇeeṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ.

Tumi vidyā, tumi dharma,
Tumi hṛdi, tumi marma,
Tvaṃ hi prāṇāḥ shareere
Bahute tumi Mā shakti,
Hṛdaye tumi Mā bhakti,
Tomārai pratima gadi mandire-mandire.
Vandē Mātaraṃ.

Tvaṃ hi Durgā dasha-praharaṇa-dhāriṇee,
Kamalā kamala-dala-vihāriṇee,
Vāṇee vidyā-dāyinee,
Namāmi tvāṃ namāmi kamalāṃ,
Amalāṃ atulāṃ,
Sujalāṃ suphalāṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ.

Shyāmalāṃ saralāṃ susmitāṃ bhūṣhitāṃ,
Dharaṇeeṃ bharaṇeeṃ Mātaraṃ.
Vandē Mātaraṃ, Vandē Mātaraṃ.